

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 808 / 12

संस्थित दिनांक-12.10.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. राजपाल पुत्र अमरसिंह गुर्जर उम्र 24 साल

2. दीपक उर्फ दीपराज पुत्र झण्डासिंह उर्फ

सूरतसिंह गुर्जर उम्र 24 साल

निवासी अतरसोहा थाना मौ जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 21.09.2017 को घोषित}**

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 19.09.12 को शाम सात बजे ग्राम अतरसोहा में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रामनारायण को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 19.09.12 को शाम करीब 7 बजे फरियादी रामनारायण के गौडा (पशु बांधने का स्थान) जिसमें तोरई की फसल लगी थी और आसपास कटीली झाड़ियां लगी थी जिन्हें हटाकर अभियुक्त राजपाल ने अपने मवेशी घुसा दिए इसी बात पर फरियादी ने उसे रोका तो राजपाल ने कुल्हाड़ी मारी जो फरियादी ने पकड़ी फिर भी उसके सिर में लगने से खून निकल आया। अभियुक्त दीपक ने फरियादी का गिरेवान पकड़ लिया और पटक कर लातघूंसे से मारपीट की जिससे उसके कमर और बाएं और दाहिने पैर तथा पीठ में चोट आई। मुलायम एवं रतनलाल ने घटना देखी। उक्त आशय का लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अप०क्र० 192/12 पंजीबद्ध किया गया। आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण ने दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर निर्दोष होना तथा रजिशन झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या दिनांक 19.09.12 को शाम सात बजे फरियादी रामनारायण को धारदार हथियार की कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान ग्राम अतरसोहा में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रामनारायण को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

**--:: सकारण निष्कर्ष ::--**

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में मुलायमसिंह अ०सा० 1, रतनलाल अ०सा० 2, डा० आर० विमलेश अ०सा० 3, रामनारायण अ०सा० 4, राधेश्याम अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव में साक्षी इन्द्रजीत सिंह ब०सा० 1 को परीक्षित कराया गया है।

**// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 //**

6. फरियादी रामनारायण अ०सा० 4 यह कथन करते हैं कि घटना दिनांक 19.09.12 के शाम सात सवा सात बजे की है। वे अपने हार में उनके गौडा में तुरई वगैरह थी, उसके आसपास झांकर लगे थे। अभियुक्तगण ने झांकर खींचकर मवेशी गौडा में घुसा दिए। जब उसने रोका तो अभियुक्तगण बोले कि वे ऐसे ही घुसायेंगे और राजपाल ने कुल्हाड़ी मारी जो उसके सिर में लगी और खून निकल आया। वह घर तरफ भागा तो दीपक ने उसे पकड़ कर पटक लिया और उसकी लातघूंसें से मारपीट की जिससे उसकी कमर व पैरों में चोटें आईं। साक्षी घटना की लिखित रिपोर्ट थाना मौ में प्र०पी० 1 की किया जाना बताते हैं। पुलिस द्वारा मेडीकल कराए जाने का भी कथन करते हैं।

7. डा० आर० विमलेश अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं कि दिनांक 19.09.12 को वे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उनके साथ डा० हरीश हाशवानी भी मेडीकल आफीसर के रूप में पदस्थ थे। उक्त दिनांक को डा० हाशवानी के पास थाना मौ से सैनिक 168 आशाराम द्वारा लाए जाने पर आहत रामनारायण का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था जिसमें आहत को निम्न चोटें पाई थी—

1—कटा हुआ घाव एक सेमी० गुणा 1/4 सेमी० गुणा चमड़ी की गहराई तक दांयी ओर सिर में था।

2-बांगी ओर कमर में कड़ापन।

3-खरोंच जिसका आकार 1/2 सेमी० गुणा 1/2 सेमी० बाएं टखने के जोड़ पर बाहर की ओर थी।

4-कड़ापन दाएं पंजे पर दाहिने टखने की हड्डी के बाहर की ओर था।

5-कड़ापन दायी ओर पीठ के उपरी भाग में था।

8. चिकित्सक डा० आर० विमलेश अ०सा० 3 यह कथन करते हैं कि चोट क्र० 1 धारदार हथियार से पहुंचाई जाना तथा शेष चोटें सख्त व भौथरी वस्तु से पहुंचाई जाने के संबंध में चिकित्सक द्वारा अभिमत प्रदान किया है। चोटों की प्रकृति के संबंध में एक्सरे की सलाह दी गयी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 3 के ए से ए भाग पर डा० हाशवानी के हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए उन्हें यह साक्षी भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 47 के अधीन कारबार के सामान्य अनुक्रम में विशेषज्ञ साक्षी के रूप में प्र०पी० 3 की रिपोर्ट को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से चिकित्सक के द्वारा यह तथ्य समर्थित किया गया है कि दिनांक 19.09.12 को आहत रामनारायण के शरीर पर चोटें मौजूद थी। अभियुक्तगण की ओर से इस तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गयी है कि आहत रामनारायण को कोई चोट नहीं थी, बल्कि चिकित्सक को अभिकथित चोट आने के संबंध में कांच का टुकड़ा उचटकर लगने से कारित होने के संबंध में सुझाव दिया गया है। जबकि ऐसा कोई सुझाव आहत को नहीं दिया गया है। ऐसे में प्र०पी० 4 का लिखित आवेदन, प्र०पी० 3 की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में फरियादी के अभिकथन की संपुष्टि के संबंध में अविश्वास का कोई न्यायोचित आधार नहीं हैं। साथ ही प्र०पी० 3 की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट धारा 35 साक्ष्य विधान के अधीन कारबार के अनुक्रम में निष्पादित होने से सुसंगत एवं धारा 114 ड के अधीन चिकित्सक द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में सम्यक रूप से निष्पादित किए जाने की उपधारणा का आधार दर्शाता है। अतः यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 19.09.12 को आहत रामनारायण को सुसंगत समय शाम करीब सात सवा सात बजे शरीर पर चोटें मौजूद थी जिनमें सिर में दाहिनी तरफ आई चोट धारदार वस्तु से कारित हुई थी। अब यह तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को उक्त चोटें सामान्य आशय के अग्रशरण में स्वेच्छा कारित की गयी ?

### // विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 //

9. फरियादी रामनारायण अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा उसके गौंडा में अपने मवेशी प्रवेश करा देने तथा मना करने पर राजपाल द्वारा फरियादी के सिर में कुल्हाड़ी से तथा सह अभियुक्त दीपक द्वारा लातघूंसों से मारपीट किए जाने के संबंध में कथन किया है। साक्षी ने यह बताया है कि जब उसने अभियुक्तगण को रोका तो अभियुक्तगण बोले "हम ऐसे ही घुसायेंगे।" उक्त तथ्य से अभियुक्तगण का सामान्य आशय दर्शित होता है। घटना के संबंध में फरियादी ने साक्षी रतनलाल व मुलायमसिंह द्वारा बीच बचाव किए जाने का कथन किया है और इसके बाद लिखित

रिपोर्ट प्र०पी० 4 थाने में किया जाना बताया है। साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में मेवाराम एवं रामजीलाल के आधा एक घण्टे बाद आने का कथन किया है। कथित मेवाराम व रामजीलाल घटना के साक्षी नहीं हैं। मुलायम अ०सा० 1 तथा रतनलाल अ०सा० 2 घटना के साक्षी बताए गए हैं जो कि अपने अभिसाक्ष्य में उनके समक्ष कोई घटना होने से इंकार करते हैं ऐसी दशा में अभियोजन का मामला फरियादी रामनारायण के अभिसाक्ष्य पर निर्भर हो जाता है।

10. फरियादी रामनारायण अ०सा० 4 अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताता है कि उसका गौंडा तथा अभियुक्तगण का गौंडा अलग अलग मौहल्ले में दूर दूर स्थित हैं। साक्षी प्रतिपरीक्षण में बताता है कि वह घटना के समय हार में था और स्वतः कथन करता है कि वह आ गया था और आरोपीगण को रोका था। साक्षी द्वारा कण्डिका 5 में बताया है कि घटना के समय रतनलाल और मुलायम आ गए थे जिन्होंने बीच बचाव कराया था और कोई व्यक्ति नहीं आया। साक्षी कण्डिका 5 में ही बताता है कि मारपीट के समय वह चिल्लाया था और उसके मौहल्ले में 15-20 घर बने हैं, चिल्लाने पर कोई नहीं आया। उसे जानकारी नहीं कि मौहल्ले के घरों में लोग थे या नहीं। उक्त तथ्यों के संबंध में अभियुक्तगण का यह तर्क है कि घटनास्थल सार्वजनिक स्थान बताया है और आसपास 15-20 लोगों के घर बताए हैं किन्तु किसी व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया ऐसे में अभियोजन कथा संदेहास्पद है। उक्त तर्क के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबंध है कि साक्षियों की संख्या महत्व नहीं रखती है बल्कि साक्षी की साक्ष्य का साक्षिक मूल्य का महत्व है। फरियादी के अभिसाक्ष्य पर अविश्वास का आधार अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसे में आस पड़ौस के लोगों को साक्षी न बनाया जाना अभियोजन के मामले को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है।

11. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से मूल रूप से यह बचाव लिया है कि आरोपीगण की उससे खेतों के कारण रंजिश है इस कारण से उसने अभियुक्तगण को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट की है। उक्त सुझाव एवं पुरानी रंजिश के संबंध में साक्षी द्वारा कण्डिका 6 में अभियुक्तगण की ओर से दिए गए सुझाव को इंकार किया है। यहां तक कि फरियादी उसका एवं अभियुक्तगण का खेत पास पास होने के तथ्य से भी कण्डिका 6 में इंकार करते हैं। प्रकरण में कथित रंजिश के बारे में बचाव साक्षी इन्द्रजीत सिंह ब०सा० 1 को परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी यह कथन करता है कि अभियुक्तगण एवं फरियादी का खेत पहाडिया के पास है और उनका खेतों का विवाद चला आ रहा है तभी से रंजिश है और उसके बाद गांव में पंचायत हुई थी, पंचायत में रामनारायण ने कहा कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देख लेंगे, तुम्हारे बच्चों को झूठे कैस में फंसा देंगे। उसी रंजिश के कारण अभियुक्तगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कर फंसा दिया है। यह साक्षी जो अभियुक्तगण से फरियादी की रंजिश होने का तथ्य बताता है वह अपने प्रतिपरीक्षण में बताने में अस्मर्थ है कि कथित पंचायत किस दिनांक को किस मौसम, किस सरपंच के सामने हुई थी। साक्षी कथित खेत के संबंध में प्रकरण



चलने की जानकारी न होना बताता है। कथित पंचायत में दी गयी धमकी के संबंध में गांव के लोगों द्वारा या उसके द्वारा पुलिस को कोई शिकायत किए जाने से इंकार करता है। कथित रंजिश के संबंध में प्रथम बार न्यायालय में बताए जाने का कथन करता है। यदि अभियुक्तगण की फरियादी से कोई रंजिश होती तो उसके संबंध में कथित जमीन संबंधी विवाद के दस्तावेज पेश किए जा सकते थे। अभियुक्तगण की ओर से फरियादी को कोई ऐसा सुझाव भी नहीं दिया गया कि अमुक पंचायत में अमुक दिनांक को अमुक सरपंच के सामने फरियादी ने उन्हें झूठे केस में फंसाने की कोई धमकी दी थी। ऐसी दशा में कथित रंजिश के तथ्य को प्रमाणित किए जाने का विश्वसनीय साक्ष्य अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत व प्रमाणित नहीं किया जा सका है।

12. प्रकरण में फरियादी द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्र०पी० 5 बनाए जाने का कथन किया है। उक्त नक्शामौका के संबंध में अनुसंधानकर्ता राधेश्याम अ०सा० 5 यह कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक 23.09.12 को प्र०पी० 5 का नक्शा बनाया था जिस पर उनके बी से बी भाग पर हस्ताक्षर हैं। फरियादी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में इस बात की पुष्टि करता है कि घटना के चार दिन बाद गांव में पुलिस घटनास्थल पर आई थी और नक्शामौका बनाया था किन्तु उसमें क्या लिखा था उसे पता न होना बताता है। इस प्रकार से फरियादी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में घटना की अभिपुष्टि की है जिस पर अविश्वास का कोई न्यायोचित आधार नहीं हैं। जब्तीकर्ता राधेश्याम अ०सा० 5 द्वारा अभियुक्त राजपाल के प्रस्तुत करने पर कुल्हाड़ी जब्त किया जाना बताया है। इस प्रकार से अभियोजन का मामला मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से भलीभांति समर्थित है।

13. फरियादी रामनारायण आहत जिसकी चिकित्सीय अभिसाक्ष्य से अभिपुष्टि होती है। आहत साक्षी की साक्षिक मूल्य के संबंध में न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259** की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि –

Injured witness - Testimony of - Reliability - Presence of injured witness on spot, not doubtful - Graphic description of entire incident given by him - Must be given due weightage - His deposition corroborated by evidence of other eye witnesses - Cannot be brushed aside merely because of some trivial contradictions and omission therein.

इसके अतिरिक्त मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में न्यायदृष्टांत **Bhajan Singh alias Harbhajan Singh and Ors v. State of Haryana AIR 2011 SC 2552 : (2011)7 SCC 421** भी उल्लेखनीय हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 21 में आहत साक्षी के संबंध में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया—

“21. The evidence of the stamped witness must be given due weightage as his presence on the place of occurrence cannot be doubted. His statement is generally considered to be very reliable and it is unlikely that he has spared the actual assailant in order to falsely implicate someone else. The testimony of an injured witness has its own relevancy and efficacy as he has sustained injuries at the time and place of occurrence and this lends support to his testimony that he was present at the time of occurrence. Thus, the testimony of an injured witness is accorded a special status in law. Such a witness comes with a built-in guarantee of his presence at the scene of the crime and is unlikely to spare his actual assailant(s) in order to falsely implicate someone. "Convincing evidence is required to discredit an injured witness". Thus, the evidence of an injured witness should be relied upon unless there are grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein. (Vide: Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259 : (AIR 2011 SC (Cri) 964 : 2010 AIR SCW 5701); Kailas and Ors. v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 793 : (AIR 2011 SC 598); Durbal v. State of Uttar Pradesh, (2011) 2 SCC 676 : (AIR 2011 SC 795 : 2011 AIR SCW 856); and State of U.P. v. Naresh and Ors., (2011) 4 SCC 324 : (AIR 2011 SC (Cri) 761 : 2011 AIR SCW 1877)).  
**Resently Followed in :- Narender Singh and others v. State of Madhya Pradesh 2015(11) SCALE 557 : JT 2015 (9) SC 435”**

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 19.09.12 को शाम सात बजे ग्राम अतरसोंहा में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रामनारायण को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से अभियुक्त राजपाल द्वारा चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की जिसके लिए अभियुक्त दीपक उर्फ दीपराज सामान्य आशय के कृत्य होने के कारण समान रूप से उत्तरदायी है। अतः अभियुक्त राजपाल को संहिता की धारा 324 तथा अभियुक्त दीपक उर्फ दीपराज को संहिता की धारा 324/34 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

15. अभियुक्तगण के पूर्व के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।

16. अभियुक्तगण के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्ववान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

ए०के० गुप्ता  
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
 गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

**पुनश्च:**

17. अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के ग्रामीण मजदूर एवं वाहन चालक होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

18. अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं किन्तु साथ ही उसकी परिपक्व आयु एवं आहत/फरियादी को स्वेच्छा मारपीट कर उपहति कारित करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि आहत व अभियुक्तगण एक ही गांव के हैं, उनके मध्य पूर्व से कोई विवाद होना प्रमाणित नहीं हैं ऐसे में घटना तात्कालिक कारण से, जो कि मवेशियों के गौड़ा में प्रवेश करने के संबंध में था, उद्भूत हुआ है। तत्समय अभियुक्तगण की आयु करीब 19 वर्ष लेख की गयी है। आहत को आई चोटें साधारण प्रकृति की है। अतः **अभियुक्त राजपाल** को संहिता की धारा 324 के अधीन 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड से तथा **अभियुक्त दीपू उर्फ दीपराज** को संहिता की धारा 324/34 के अधीन 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को एक-एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

19. अभियुक्तगण से अर्थदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से **फरियादी/आहत रामनारायण पुत्र रामस्वरूप जाटव निवासी ग्राम अतरसोंहा थाना मौ** को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दप्रस की धारा 357-1 ख के अधीन 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।

20. प्रकरण में जब्त शुदा संपत्ति कुल्हाडी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विनिष्ट की जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

21. निर्णय की एक-एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।

22. अभियुक्तगण की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दप्रस० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए०के० गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश